पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-42/2024 दिनांक- 07.02.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

डीसीएम अल्ट्रा में टोस्ट के 327 डिब्बों में छिपाकर 623 पेटी में 19452 शीशी पंजाब की अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 55 लाख रूपये) बिहार तस्करी हेतु ले जाते समय एक अभियुक्त गिरफ्तार; 04 हजार रूपये नगद तथा वाहन व माल के फर्जी कागजात व मोबाइल बरामद।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 06.02.2024 को SO प्रदीप कुमार मिश्रा मय हमराह व स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी को तकनीकी रूप से सूचना मिली है कि एक डीसीएम गाड़ी पंजाब से अग्रेजी शराब की गाड़ी लखनऊ की तरफ से आ रही है जो बिहार जायेगी । यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मय हमराह व स्वाट/ सर्विलांस टीम के साथ रूदरी मोड़ से टीम के साथ प्रस्थान कर इन्वर्सल पब्लिक स्कूल रोवा के पास एक डीसीएम गाड़ी टाटा अल्ट्रा नम्बर UP57AP8849 को रोक कर ड्राइवर से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संदीप गौतम पुत्र रामलाल गौतम निवासी बनबहा देवीगंज थाना महराजगंज जिला जौनपुर बताया । डीसीएम अल्ट्रा में टोस्ट के 327 डिब्बों में छिपाकर 623 पेटी में 19452 शीशी पंजाब की अंग्रेजी शराब (कीमत लगभग 55 लाख रूपये) जिसमें 250 पेटी में 12 हजार शीशी 180ML, 248 पेटी में 375ML व 125 पेटी में 1500 शीशी 750 ML की शीशी बरामद हुई है तथा अभियुक्त के कब्जे से 04 हजार रूपये नगद तथा वाहन व माल के फर्जी कागजात व मोबाइल बरामद किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के समय 17.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोग पंजाब से कम दामों पर शराब खरीद कर चोरी छिपे बिहार ले जाकर महगें दामों पर विक्री करते है जिससे काफी पैसा मिलता है। अपनी व गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए व पुलिस से बचने के लिए बीच-बीच मे ड्राइवर व नम्बर प्लेट बदलते रहते है। तथा गाड़ी से माल चेक करने पर तीन लेयर टोस का पैकेट का रेक पिछे तथा ऊपर लगा देते है। जिससे गाड़ी चेक करने पर पकड़ी न जाये तथा माल की फर्जी विल्टी भी रखते है।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0स0- 34/2024 धारा 419/420/467/468/471/34 भा0द0वि0 व 60/63 अबकारी अधि0बनाम 1. संदीप गौतम पुत्र रामलाल गौतम निवासी बनबहा देवीगंज थाना महराजगंज जिला जौनपुर आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप गौतम पुत्र रामलाल गौतम निवासी बनबहा देवीगंज थाना महराजगंज जिला जौनपुर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। इस अपराध में संलिप्त अन्य अपराधियों की पहचान कर कठोर कार्यावाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- संदीप गौतम पुत्र रामलाल गौतम निवासी बनबहा देवीगंज थाना महराजगंज जिला जौनपुर

बरामदगी – (पंजाब इम्पिरियल ब्लू अग्रेजी शराब की कुल 623 पेटियो में कुल 19452 शीशी बरामद,जिस पर SEAGRAM,S ,IMPERIAL BLUE RESERVEGRAIN WHISKY तथा FOR SHEL IN PUNJAB ONLYEDP RANGE 1201-1600 अंकित है । **कीमत लगभग 55 लाख रूपयें**)

(1)180ML की कुल 250 पेटी है प्रति पेटी में कुल 48 शीशी शराब कुल 12000/- शीशी बरामद ।

(2) 375M.L. की कुल 248 पेटी है प्रति पेटी में कुल 24 शीशी शराब कुल 5952/-शीशी बरामद ।

(3) 750M.L. की कुल 125 पेटी है प्रति पेटी में कुल 12 शीशी शराब कुल 1500/- शीशी बरामद ।

(4)एक डीसीएम फर्जी नम्बर प्लेट व गाडी का फर्जी कागजात, 4000/- रूपया नकद, एक मोबाईल टेक्नो कम्पनी

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-35/2024 धारा 419/420/467/468/471/34 IPC व 60/63 अबकारी अधि0 थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी

(3) कां0 सुनील कुमार, महिला कां0 नीलम बर्मा, कां0 धीरज गौड़, कां0 गौतम कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(4) हे0कां0 पवन यादव, कां0 अरूण पाण्डेय, कां0 अवनीश सिंह, कां0 सुनील प्रजापति स्वाट टीम आजमगढ़

(5) क0आ0 चन्द्रमा मिश्रा, कां0 आलोक सिंह, दिनेश कुमार यादव सर्विलांस टीम आजमगढ़